

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021
दि

2021
1130

विषय:- ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी के खाता सं० 112 में नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त करने
बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 112 में
मेरा नाम/पिता का नाम/जाति गलत रूप से नाना पाले बड़ी दर्ज है। मेरा सही
नाम/पिता का नाम/जाति नानी बाई पाले बड़ी है। अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति
अतः सही नाम/पिता का नाम/जाति दुरुस्त कराने की कृपा करायें।

प्राथी

रिपोर्ट पटवारी

महोदय
निवेदन है कि ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 112 पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति नाना पाले बड़ी दर्ज है। प्रार्थी ने सत्य एवं
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति नानी बाई पाले बड़ी
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी (प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का
नाम/पिता का नाम/जाति नानी बाई पाले बड़ी दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः
प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जाति नानी बाई पाले बड़ी दर्ज किये जाने की आशंका
की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी
प.इ. सरदारपुरा

हस्ताक्षर भू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प सरदारपुरा

कमांक 6

दिनांक 14/10/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का सरदारपुरा भू०अ०नि० वृत्त सोला एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सत्य पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 112 में
प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जाति सही रूप से नानी बाई पाले बड़ी दर्ज किये जाने
की अभिशंका के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू०अ०नि०)
दूनी जिला-टोंक

कमांक

459
2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैम्प/21

दिनांक:-

तहसीलदार दूनी की आदेशानुसार ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत्
2077 के खाते के खाता सं 112 पर दर्ज नाना पाले बड़ी के
रूप में नानी बाई पाले बड़ी दर्ज सत्य दिनांक 14/10/21
के अनुसार किया जाना है

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)